जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

प्रेषक :
सम्बद्धता विभाग,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

ग्राम : *यूनिवर्सिटी*
दूरभाष : *(0751-244228 (कार्यालय)*
ई-मेल : E-mail :
jiwajidcdc@gmail.Com
Website
:http://www.jiwaji.edu/

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2022/9177

दिनांक : 29-12-2022

अतिआवश्यक

प्रति,

प्राचार्य/प्राचार्या
समस्त सम्बन्धित शासकीय/अशासकीय अनुदान प्राप्त/निजी अशासकीय महाविद्यालय
जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर

विषयः- राज्य युवा नीति पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों मे चर्चा एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु कार्यवाही बावत्।

संदर्भः- आयुक्त उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन के पत्र क्रमांक 1733/369/आउशि/शा-5'अ' /2022 भोपाल दिनांक 14.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में सूचित किया जाता है, कि म.प्र. शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संदर्भित विषय के तारतम्य में संलग्न पत्रानुसार कार्यवाही कर की गयी कार्यवाही से अनिवार्य रूप से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न उपरोक्तानुसार :-

निदेशक,
महाविद्यालयीन विकास परिषद्

DISK:E/Tarun Shrivastava/DCDC/ALL-LETTER'S/J.U.

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश
सतपुडा भवन, भोपाल–462004

क्रमांक 1733 / 359 / आउशि / शा–5'अ' / 2022 भोपाल, दिनांक 14 / 12 / 2022

प्रति,

1. कुलसचिव,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

2. प्राचार्य,
समस्त शासकीय / अनुदान प्राप्त अशासकीय / निजी अशासकीय महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषय– राज्य युवा नीति पर विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में चर्चा एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु कार्यवाही बावत्।

—0—

उपरोक्त विषय में लेख है कि शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में युवाओं के लिए नवीन युवा नीति तैयार करने हेतु युवा नीति के घटकों (कम्पोनेट) पर सुझाव एवं विचार ज्ञात करने के लिए युवाओं से संवाद स्थापित किया जाना है।

इसी अनुक्रम में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थियों से सुझाव प्राप्त किये जाए कि वे प्रस्तावित युवा नीति में किन–किन विषयों का समावेश कराना चाहते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, रोजगार, कौशल विकास, उद्यमशीलता व सामाजिक सम्प्रेक्षण के अन्तर्गत अपनाए गए नवाचार एवं युवा नीति पर कक्षाओं में चर्चा कर ऑनलाईन /ऑफलाइन सुझाव प्राप्त किये जाएं।

राज्य युवा नीति के विभिन्न घटकों पर सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु प्रत्येक विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सुझाव पेटी रखी जाए।

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, सतपुडा भवन, भोपाल में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। जिसके दूरभाष नंबर 0755– 2551698 एवं 0755–2554763 पर कार्यालयीन कार्य दिवसों में समय 11.00 से 05.00 तक राज्य युवा नीति पर विचार/सुझाव दिये जा सकते हैं।

विभाग द्वारा शीघ्र ही ऑनलाईन सुझाव प्राप्त करने हेतु एक टेम्पलेट जारी किया जायेगा, जिसमें टेम्पलेट के माध्यम से विद्यार्थी ऑनलाईन सुझाव प्रेषित कर सकेंगे। इसकी सूचना पृथक से जारी की जायेगी तब तक इस सम्बंध में संस्था स्तर पर पर्याप्त विचार–विमर्श की कार्यवाही कर ली जावे।

(कर्मवीर शर्मा)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 1734 / 359 / आउशि / शा–5'अ' / 2022 भोपाल, दिनांक 14 / 12 / 2022

प्रतिलिपि:

1. निज सहायक माननीय मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
2. स्टॉफ आफीसर, अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, मध्यप्रदेश।
3. निज सहायक, कुलपति, समस्त विश्वविद्यालय, मध्यप्रदेश।
4. समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

.... की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

क्र.	उद्देश्य	प्राथमिकता के क्षेत्र	भावी आवश्यकतायें
6.1	एक सफल कार्यबल का गठन करना जो राज्य की अर्थव्यवस्था को विकसित करने की दिशा में स्थायी योगदान दे सके।	1. शिक्षा	(1) क्षमता एवं गुणवत्ता बढ़ाने की प्रणाली तैयार करना। (2) कौशल विकास और आजीवन शिक्षण को बढ़ावा देना।
		2. रोजगार और कौशल विकास	(1) लक्षित युवाओं तक पहुंच और जागरूकता। (2) सरकार और अन्य स्टेकहोल्डरों की भूमिका तय करना। (3) प्रणालियों और स्टेकहोल्डरों के बीच समायोजन बढ़ाना।
		3. उद्यमशीलता व सामाजिक सम्प्रेक्षण	(1) लक्षित युवाओं तक पहुंचने के कार्यक्रम। (2) क्षमता बढ़ाने के लिए प्रभावी कार्यक्रमों का दायरा विस्तृत करना (3) युवा उद्यमियों के लिए कस्टमाइज्ड कार्यक्रम तैयार करना। (4) व्यापक निगरानी एवं मूल्यांकन प्रणाली का क्रियान्वयन।
6.2	एक ऐसी सशक्त और स्वस्थ पीढ़ी तैयार करना जो भावी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो।	4. स्वास्थ्य एवं स्वस्थ्य जीवन शैली	(1) सेवा प्रदायगी की स्थिति को बेहतर बनाना। (2) स्वास्थ्य, पोषण और निवारक उपायों के बारे में जानकारी। (3) युवाओं के लिए लक्षित नियंत्रण कार्यक्रम।
		5. खेल	(1) खेल सुविधाओं और प्रशिक्षण की बेहतर उपलब्धता। (2) युवाओं में खेल भावना तथा खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देना। (3) प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की सहायता और उनका विकास।
6.3	सामाजिक मूल्यों की भावना मन में बैठाना और राज्य की जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए सामुदायिक सेवा को प्रोत्साहित करना।	6. सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देना	(1) सामाजिक सद्भावना एवं नैतिक मूल्य की शिक्षा प्रणाली को उचित रूप देना। (2) युवा के विनियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना। (3) नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने की शिक्षा में कार्यरत एनजीओ और गैर–लाभकारी संगठनों को सहायता।
		7 सामुदायिक विनियोजन	(1) विद्यमान सामुदायिक विकास संगठनों की सेवायें लेना। (2) सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। (3) पर्यावरण संरक्षण व आपदा प्रबन्धन में युवाओं को शामिल करना।

निरन्तर..2.

क्र.	उद्देश्य	प्राथमिकता के क्षेत्र	भावी आवश्यकतायें
6.4	सभी स्तरो पर नागरिकों का सहयोग लेना और उनकी भागीदारी को आसान बनाना।	8. लोकतान्त्रिक व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण मे सहयोग।	(1) सभी स्तरो पर युवाओ की भागीदारी को बढ़ावा देना। (2) ऐसी व्यवस्था तैयार करना जिसका युवा लाभ उठा सके। (3) स्थानीय निकाय में युवा भागीदारी को बढ़ावा देना।
		9. युवाओं की भागीदारी	(1) युवा विकास योजनाओं की प्रभावशीलता की निगरानी और उसके लिए उपाय। (2) युवाओं के विनियोजन के लिए मंच तैयार करना।
6.5	जोखिम (Risk) ग्रस्त युवाओं के लिए सहायता और लाभ से वंचित एवं सीमांत युवाओ के लिए समता-मूलक अवसर सृजित करना।	10. युवाओं का समावेशन	(1) लाभ से वंचित युवाओ को समर्थ बनाना एवं उनकी क्षमता को बढ़ाना। (2) हिंसा –ग्रस्त क्षेत्रों मे युवाओं के लिए आर्थिक अवसर सुनिश्चित करना। (3) विकलांग युवाओं की मदद के लिए एक बहुसूत्री दृष्टिकोण तैयार करना। (4) युवाओं के लिए जानकारी एवं अवसर बढ़ाना।
		11. सामाजिक न्याय	(1) अनुचित सामाजिक प्रथाओं को दूर करने के लिए युवाओ को जागरूक करना। (2) सभी स्तरो पर न्याय की सुविधा बढ़ाना।